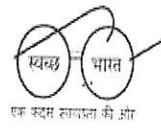


	DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF DIRECTOR (A & P)/Parliament Cell VARUNALAYA PHASE-II KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PHONE:- 011-23544794 E-mail:- djbdirector@gmail.com	
---	---	---

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ **St.-33/CM-04**

Dated: 15.12.2023

To

Shri Neeraj Aggarwal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:-Vidhan Sabha Starred Question No. 33 raised by Hon'ble MLA Sh. Rohit Kumar Mehraulia for 18.12.2023.

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VII/2020-25/VSS/Ques. Branch/6312 date 07.12.2023 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

Director (Admn. & Personnel)

Cheshta Yadav, IAS
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

Dated: 16.12.2023

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ **St.-33/CM-04**

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Member (WS.), DJB
5. Member (DR.), DJB
6. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
7. Office Copy.

Director (Admn. & Personnel)

Cheshta Yadav, IAS
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या :- 33

दिनांक :- 18.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री रोहित कुमार, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि पिछले तीन वर्षों से लगातार संबंधित मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के संज्ञान में लाये जाने के बावजूद त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोक नगर क्षेत्र के नाले वाले रोड़ को अभी तक नहीं बनाया गया है;	यह सार्वजनिक उपयोग की सड़क नहीं है। न्यू अशोक नगर क्षेत्र से 03 चैनल कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी से लगभग 90 एमजीडी का उपचारित अपशिष्ट जाता है। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इन तीनों अपशिष्ट वाहकों को या तो स्लैब की श्रृंखला या आरसीसी से कवर किया गया है। इन चैनलों में यातायात भार और वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए पर्याप्त वहन क्षमता नहीं है। इन प्रवाहित चैनलों पर सड़कों के निर्माण से चैनलों और आसपास की संपत्तियों को नुकसान हो सकता है। जिस भूमि पर अपशिष्ट चैनलों का निर्माण किया गया है वह भूमि पहले डीडीए द्वारा विशिष्ट एसटीपी से संबंधित कार्यों के लिए डीजेबी को सौंपी गई थी न कि सार्वजनिक उपयोग के लिए।
(ख)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;	
(ग)	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस रोड़ को बनाने या NOC देने में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, पूर्ण विवरण दें;	ग) एवं घ) :- उपरोक्तानुसार
(घ)	इस रोड़ को बनाने हेतु यदि कोई समस्या है तो क्या कोई उचित वैकल्पिक समाधान निकाला गया है; और	
(ङ)	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें?	संबंधित नहीं है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

Cheshta Yadav, IAS

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi